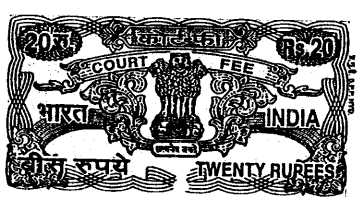

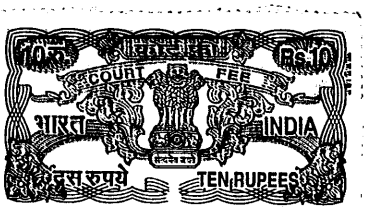

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

-1-

210

R 4442-I-16

निगरानी प्र0क्र0 / जिला-कटनी

माधोसिंह पिता हिरवा उर्फ हीरासिंह,
निवासी ग्राम पहरिया, तहसील विजयराघवगढ़
जिला कटनी म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

Amit Mishra
CADW
Amit K. Mishra

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 13/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2016 से व्यथित होकर ।

श्री अमित कुमार मिश्रा
एड. द्वारा प्रस्तुत
29-12-16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, कटनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 892/1 रकबा 1.560 ग्राम मुहास प.ह.नं. 3/8 रा.नि.मं. विजय राघवगढ़ तहसील विजय राघवगढ़ जिला कटनी में स्थित है । आवेदक को बैंक का कर्ज पटाने तथा पुत्री की शादी आदि की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है अत: उक्त भूमि को गैर आदिवासी क्रेता को विक्रय करने की अनुमति दी जाये ।

3- यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार, को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा जांच अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें बताया गया कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल रहा है

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4442–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 13/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 27–9–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक माधोसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम मुहास प.ह.नं. 3/8 रा.नि.मं. एवं तहसील विजयराघवगढ जिला कटनी खसरा नं. 892/1 रकबा 1.560 को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रतिवेदन पर विचार कर आवेदक को अनुमति प्रदान किया जाना उचित न मानते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विकय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आपवेदक के पास कुल 3.130 हैक्टर भूमि शेष बचेगी जो जीवनयापन के लिए प्र्याप्त नहीं होगी । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा विकय हेतु आवेदित भूमि उनके द्वारा कय की गई है । आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास शेष बच रही 3.130 हैक्टर भूमि सिंचित है जो उसके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने का प्रावधान है जबकि आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि शेष बच रही है। जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विकय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर आवेदक द्वारा कय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 4442–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सदस्य है इस कारण उसने भूमि विकय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक की ओर से जो राजस्व अभिलेख पेश किये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि के विकय के उपरांत आवेदक के पास 3.130 हैक्टर अर्थात 5.00 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि भूमि भूमि शेष बचेगी इस कारण वह भूमिहीन नहीं होगा । आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विकय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदक को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–09–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित ग्राम मुहास प0ह0नं0 3/8 रा0नि0मं0 विजय राघवगढ तहसील रा0नि0मं0 एवं तहसील विजयराघवगढ जिला	

R- 4442-I/16

माधोसिंह विरूद्ध म०प्र० शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	कटनी खसरा नं. 892/1 रकबा 1.560 हैक्टर को गैर आदिवासी को विकय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	

माधोसिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4442-एक/16 जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि यह प्रकरण कटनी जिले का है परंतु आवेदक की ओर से प्रस्तुत इस निगरानी में टंकण की त्रुटिवश पक्षकारों के शीर्ष में अनावेदक म0प्र0 शासन, कलेक्टर, कटनी के स्थान पर कलेक्टर, जबलपुर जिला सिवनी टाइप हो गया है, जिसे सुधारा जाना आवश्यक है । अतः उन्होंने उक्त त्रुटि को सुधारे जाने के आदेश देने का निवेदन किया गया । अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम को उक्त त्रुटि के सुधार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि सही प्रतीत होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12-1-17 के प्रथम पृष्ठ पर पक्षकारों के शीर्ष में अनावेदक म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, सिवनी के स्थान पर म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	